रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062024-254712 CG-DL-E-14062024-254712

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

No. 2221]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

सं. 42/2024-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2339(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतत्द्वारा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/1994- सीमा शुल्क (गै.टै), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 829(अ), 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्न्लिखत और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में केरल राज्य से संबंधित क्रम संख्या 7 के समक्ष कॉलम (3) और (4), में, कॉलम (3) के मद (8) के पश्चात और कॉलम (4) की संबंधधत प्रविष्टियों के पश्चात निम्न्लिखित मद और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

3585 GI/2024 (1)

(1)	(2)	(3)	(4)
		"(9) विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय	आयातित माल की उतराई और निर्यातित माल या ऐसे
		बंदरगाह	माल की किसी अन्य श्रेणी की लदाई ।"

[फा. सं. सीबीआईसी-50394/46/2023-AS]

राधे कृष्णा, अवर सचिव

नोट:-प्रधान अधिसूचना को, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 62/1994- सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के रूप में का.आ. 829(अ) दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 101/2018 – सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 दिसम्बर, 2018, का.आ. 6359(अ) दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2024

No. 42/2024-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2339(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62/1994 —Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O.829 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification in the Table, against serial number 7 relating to the State of Kerala, in column (3) and (4), after item (8) in column (3) and the entries relating thereto in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely: -

ſ	(1)	(2)	(3)	(4)
-			"(9) Vizhinjam International Seaport	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods."

[F. No. CBIC-50394/46/2023- AS]

RADHE KRISHNA, Under Secy.

Note: -The principal notification No.62/1994-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994, vide number S.O. 829(E), dated the 21st November, 1994, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O.829 (E), and was last amended vide notification No. 101/2018- Customs (N.T.), dated the 28th December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O.6359(E), dated the 28th December, 2018.